



1. डॉ० राकेश प्रताप शाही
2. रंजना मदेशिया

कामकाजी महिलाओं व घरेलू महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (गोरखपुर जनपद पिपरीली विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में)

1. आचार्य, 2. शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर पी०जी० कालेज, पावानगर (फाजिलनगर), कुशीनगर (उ०प्र०) भारत

Received-02.10.2024,

Revised-07.10.2024,

Accepted-13.10.2024

E-mail : hgupta1957@gmail.com

सारांश: आज वर्तमान में कामकाजी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। कामकाजी महिलाओं के अदृक प्रयास और निरन्तरता से ही नयी ऊंचाई पर पहुंचने में मददगार साबित हुई है। आज प्रद्योगिकी खाद्यान्न, पशुपालन नौकरी, फल बेचना, सब्जी बेचना इत्यादी कार्यों के अतिरिक्त ऐसे तमाम कार्यों के लिए महिलाएं निरन्तर प्रयासरत हैं। कामकाजी महिलाओं के योगदान एवं प्रयास से निःसंदेह समान प्रगति और अनवरत् गति के लिए चलायमान है। घरेलू महिलाओं के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है। घरेलू महिलाओं का भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण योगदानरहा है।

कुंजीभूत शब्द— महिला उद्यमी, उद्यमशीलता विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, पशुपालन, निरन्तर प्रयास, अनवरत् गति, चलायमान

अध्ययन का उद्देश्य — प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं :

1. प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना है कि संदर्भित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं व घरेलू महिलाओं की परिवारिक स्थिति कैसी है।
2. यह भी पता लगाना है कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार एक-दूसरे से भिन्न है।
3. पता लगाना है कि महिलाओं का कामकाजी होना, किस प्रकार भूमिका द्वन्द्व की स्थिति पैदा करता है।
4. इसके साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले हिंसात्मक प्रवृत्ति का अध्ययन।
5. महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं व पॉलिसी का अध्ययन

उपकल्पना— महिलाओं की स्थिति की स्थिति खराब का कारण पितृसत्तात्मक समाज का होना।

1. महिलाओं का अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों के प्रति पूर्ण जानकारी का न होना।
2. घरेलू कार्यों का कार्य की श्रेणी में गिनती न होना।
3. महिलाओं की स्थिति खराब होने का कारण अशिक्षा, रूढ़िवादी, परम्परागत सोच का होना।
4. महिला स्वतंत्रता की कमी का होना।

अध्ययन क्षेत्र— प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के पिपरीली विकास खण्ड के संदर्भ में है।

प्रतिदर्श— प्रस्तुत अध्ययन गोरखपुर के पिपरीली विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में है। यह जिला 3,483.8 वर्ग किलो मी० में फैला हुआ है तथा जनगणना 2011 के अनुसार, इस जिले की जनसंख्या 4,440,895 है।

प्रथम चरण में दैव निदर्शन की प्रणाली का अनुसरण किया गया है। दूसरे चरण में निदर्शन की सहिश्यपूर्ण कोटा प्रणाली का उपयोग करते हुए 100-100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का आकार 200 उत्तरदाताओं के रूप में है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए शोध के अनुकूल प्रविधियों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत— प्राथमिक स्रोत में आँकड़ों का संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से 200 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार विधि द्वारा आँकड़ा एकत्रित किया गया है। आकड़ा एकत्रिकरण 100 कामकाजी महिलाओं से 100 घरेलू महिलाओं से किया गया है। कुल मिलाकर 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

द्वितीयक स्रोत— द्वितीयक स्रोत के रूप में सम्बन्धित साहित्य, पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं, उपलब्ध रिपोर्ट तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध ग्रन्थ इत्यादि का अध्ययन कर उनसे आवश्यक तथ्यों का सहयोग प्राप्त किया गया है। इसके अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाओं व जनपद के शोध ग्रन्थालय इत्यादि से आवश्यक सामग्री प्राप्त किया गया है।

स्वतंत्र और आश्रित परिवर्त्य— प्रस्तुत अध्ययन में स्वतंत्र परिवर्त्य के रूप में कामकाजी व घरेलू महिलाओं को रखा गया है। कामकाजी व घरेलू महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को स्वतंत्र चर के रूप में रखा गया है।

प्रस्तावना— प्राचीन समय में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती थी। प्राचीन समय में स्त्रियों को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। प्राचीनकाल में बहुते सी महिलाओं के बारे में वर्णन मिलता है। जिनके विद्वता का परिचय पूरे समाज में व्याप्त था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, गार्गी, घोषा, विद्योत्मा इत्यादि विद्वान महिलाओं का वर्णन मिलता है। जिनके विद्वता का परिचय पूरे समाज में व्याप्त था। इसी प्रकार दृष्टि डाला जाए तो अनेकों ऐसी महिलाएं जो विद्वान होने के साथ-साथ कुशल शासिका भी सिद्ध हुईं। उन महिलाओं में ज्ञासी की रानी नूरजहाँ शासिका इत्यादि ऐसी महिलाएं हैं। इस प्रकार कामकाजी महिलाओं का वर्चस्व शुरु से ही विद्यमान रहा है। चाहे वह शासिका के रूप में हो या विद्वान स्त्रियों के रूप में।

विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा प्राप्त था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों के कार्यों से पता चलता है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक छन्दों से पता चलता है कि महिलाओं की शादी परिपक्व उम्र में होती थी। वे अपने पति का चयन करने के लिए स्वतंत्र थीं। बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। पति के साथ पूजा-पाठ करने का अधिकार इस प्रकार देखा जाए, तो महिलाओं का वर्चस्व शुरु से ही रहा है। उदाहरण के लिए स्थान पर "अग्नि वंश की कन्या विश्वपारा का उल्लेख एक दार्शनिक और स्त्री के रूप में आता है। उसके विषय में कहा जाता है कि ऋग्वेद में पाये जाने वाले एक मंत्र की भी रचना उसने की थी।"

कामकाजी महिला का तात्पर्य— एक व्यक्ति या महिला द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय या अद्योगिक प्रतिष्ठान या शासकीय संस्थाओं अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रतिफल के बदले में किए गए कार्य करना कामकाजी **अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक**



कहलाता है। किसी महिला द्वारा अगर अपना स्वयं का व्यापार, बिजनेस जैसे फल बेचना, सब्जियां बेचना या टोकरीयाँ बनाना, इत्यादि भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

घरेलू महिला-घरेलू महिला से तात्पर्य साधारण शब्दों में बिल्कुल आसान है जो केवल घर की चहारदीवारी के अन्दर ही उनकी पूरी दुनिया होती है। ज्यादातर महिला स्वतंत्रता के अधिकारों व महिला सशक्तिकरण के उपायों द्वारा चलाये गये महिला योजना के लाभों से वंचित महिला, घरेलू महिला के श्रेणी में रखी जा सकती है।

भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या 16 करोड़ है, जो घर गृहस्थी सम्माल रही है। स्त्री की दशाओं को लेकर समाज सुधारको ' द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी। वंदना विथिका के शब्दों में "नारियों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप उनके लिए शिक्षा का अभाव था। आज स्थिति परिवर्तित हुई है। आज हर क्षेत्र का द्वार लड़कियों के लिए खुला है। वे हर जगह प्रवेश पाने लगी है। जमी से आसमान तक पृथ्वी से चांद तक (कल्पना चावला, सुनीता विलियम) उनकी पहुँच है।"

निष्कर्ष- कामकाजी महिलाओं व घरेलू महिलाओं की समाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई है जो की शोध पत्र मूल परिचय है। महिलाएं आज अपनी मेहनत व लगन के बल पर प्रगति के शिखर पर है। महिलाओं का वर्चस्व हमेशा ही बना रहा है। कभी विद्वान स्त्रियों के रूप में, कभी कामकाजी महिलाओं के रूप में इस प्रकार महिलाओं योगदान किसी न किसी रूप में हमेशा बना ही रहा है।

घरेलू महिलाओं के अपेक्षा कामकाजी महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ रही है। वे अपने अधिकारी से लेकर परिवार में अपना स्थान बनाने तक महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ रही है। कामकाजी महिलाओं में पोषाहार, स्वास्थ्य, आवास से लेकर अनेक स्थितियों में कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ रही है। यह स्थिति कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ता के कारण भी रही है। वही देखा जाए तो घरेलू महिलाओं की स्थिति कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा निम्नतर रही है। चाहे वह स्वास्थ्य या शिक्षा पोषाहार, आवास हर जगह कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ रही है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. Department of women and Child Development, Ministry of Human resource Development, "Occupational health issues if Women in the Unorganizedsector" Report of the task of the task force an Health (1988).
2. मल्होत्रा, ममता (201) "महिला अधिकार और मानव अधिकार" ज्ञान गंगा प्रकाशन दिल्ली।
3. आजकल मार्च 2013-पृष्ठ 27.
4. कामकाजी नारी : मानवी समस्याओं का विहटन डॉ धनराज मानधने, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर प्र. सं. 199.
